



करुणाधाम आश्रम में पीठाधीश्वर गुरुदेव सुदेश शाडित्य महाराज के सानिध्य में त्रिदिवसीय सार्वभौम दिग्विजय महायज्ञ शुरू हुआ।

रोटरी क्लब ऑफ न्यू भोपाल ने किया आईसीएस कॉलेज में पौधारोपण

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: रोटरी क्लब ऑफ न्यू भोपाल ने अध्यक्ष किशोर तेजवानी के नेतृत्व में रातीबड़ स्थित आईसीएस कॉलेज परिसर में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया। कार्यक्रम के दौरान क्लब सदस्यों और मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों ने मिलकर लगभग 150 पौधे रोपे तथा उनकी नियमित देखभाल का संकल्प लिया। क्लब की ओर

से 100 पौधे, खाद और आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। अध्यक्ष किशोर तेजवानी ने कहा कि पौधा लगाना आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। इस अभियान में पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जिनेन्द्र जैन, सचिव सतीपाल सचदेवानी, मेजर जनरल टिप्पी रावत, मनोज शर्मा, दीपेश ठाकुर और हेमनानी सहित कई प्रमुख सदस्य और विद्यार्थी मौजूद रहे।

भारतीय ज्ञान परंपरा पर व्याख्यान आयोजित ई-पत्रिका ‘तिरूपा’ का हुआ विमोचन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गुरुवार को ‘श्री गुरुदेवाय नमः’ विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार के प्रति कुलपति एवं अंतरराष्ट्रीय चिन्ह भेंटकर स्वागत किया। चिन्मय पण्ड्या मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंंदर सिंह परमार ने की। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत किया। स्वागत उद्बोधन में उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ की गतिविधियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विरासत को आधुनिक



शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है, ताकि विद्यार्थियों में ज्ञान के साथ संस्कार और जीवन-मूल्यों का भी विकास हो। मुख्य वक्ता डॉ. चिन्मय पण्ड्या ने भारतीय ऋषि परंपरा, योग, ध्यान, वैदिक ज्ञान और भारतीय संस्कृति की वैश्विक प्रासंगिकता पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा के मुख्य प्रवाह से जोड़ने की दिशा में



महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने युवाओं से भारतीय संस्कृति के मूल्यों को अपनाकर समाज निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ की ई-पत्रिका ‘तिरूपा’ का भी विमोचन किया गया। पत्रिका का संपादन डॉ. कीर्ति शर्मा एवं डॉ. मनीषा शर्मा ने किया है। आयोजन योग

निगम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों से हटाए अतिक्रमण

नप्र, भोपाल: नगर निगम द्वारा शहर में अतिक्रमणों को हटाने व अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर जारी है। इसी तारतम्य में निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के दलों ने सीएम हेल्प लाईन, कॉल सेंटर व अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण तथा निगम की नियमित कार्यवाही के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण कर अवैध बर्नी छुग्री, किचन गार्डन को जाली, अवैध बर्नी दीवार, चबूतरे, नाली के ऊपर रखी फर्शियां, अवैध बर्न छप्पर, आवागमन में बाधक दो पहिया व चार पहिया वाहन, फुटपाथ पर लगी सब्जी आदि की दुकानों, दुकानों के प्लाट पर चादर सामान तथा बड़ी संख्या में ठेले, गुम्टी, कुर्सी व अन्य अतिक्रमणों को हटवाया साथ ही ठेले, स्टूल, बेंच, लकड़ी का शोकेस, वाटर कूलर, बाल्टी, कुर्सी आदि जप्त की। निगम अमले ने जिला प्रपासन की कार्यवाही में सहयोग देकर अमराई आंगनवाड़ी के पास 01 प्लाट पर चादर द्वारा किये गये अवैध शेड को हटाने की कार्यवाही की। निगम आयुक्त के

निर्देश पर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के दलों ने गुरुवार को कोलार सी.आई. पार्क, दानिष कुंज, मंदाकिनी, राजहंस कालोनी, बांजारी परिसर, निर्मलादेवी गेट, डीमार्ट, सिग्नेचर 99, वल्लभ भवन, रेतघाट, रविन्द्र भवन, बोट क्लब, एम.पी. नगर, बोर्ड आफिस चौराहा, एम.पी. नगर जोन-2, एम.सेट्रो स्टेशन, एम्स हास्पिटल, बुधवारा, नादरा बस स्टैंड,

नवीबाग आदि क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए राजहंस कालोनी में 01 अवैध निर्माण कार्य व बालाजी परिसर में नवीन बन रही 01 दीवार का कार्य रूकवाया, बुधवारा में जर्जर मकान, करोद रूसल्ली में घरों के बाहर बर्न 2 अवैध चबूतरे, करोद हाउसिंग चौराहा, एम.पी. नगर जोन-2, अवैध बर्न 01- 01 छप्पर आदि को तोड़ा।

1. **श्रीमती इन्दानी**
KHYALDAS DEVELOPERS
PARTNER

2. **मनीष कुमार इन्दानी**
KHYALDAS DEVELOPERS
PARTNER

3. **श्रीमती मीतू इन्दानी**
KHYALDAS DEVELOPERS
PARTNER

भारत भवन में आज से शुरू होगा तीन दिवसीय कजरी झूला गायन समारोह

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: सावन की रिमझिम फुहारों और लोक-संगीत की मधुर परंपरा को स्वर देने के उद्देश्य से भारत भवन के संगीत केंद्र अनहद द्वारा 24 से 26 जुलाई तक तीन दिवसीय ‘कजरी-झूला गायन महोत्सव’ का आयोजन किया जा रहा है। वर्षा ऋतु की सांगीतिक अनुभूतियों को समर्पित यह महोत्सव लोक और शास्त्रीय संगीत के अद्भुत संगम का साक्षी बनेगा, जिसमें प्रदेश के प्रतिष्ठित कलाकार अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों से श्रोताओं को सावन की रसधारा में सराबोर करेंगे। भारत भवन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रेम शंकर शुक्ल ने बताया कि महोत्सव का शुभारंभ 24 जुलाई को सायं 7 बजे सुश्री नीना श्रीवास्तव के गायन से होगा। इसके पश्चात सायं 7:40 बजे सुश्री सुनन्दा शर्मा की प्रस्तुति होगी। इसके बाद 25 जुलाई को श्री फूलसिंह मांडेर अपने साथी कलाकारों के साथ लोकधुनों की प्रस्तुति देंगे, इसके साथ ही श्री शशिकुमार पाण्डे एवं उनके साथी कलाकार सावन की लोक परंपराओं को स्वर देंगे। महोत्सव का समापन 26 जुलाई को होगा। अंतिम दिवस श्री अरविन्द पटेल एवं उनके साथी कलाकार प्रस्तुति देंगे। इसके उपरांत सुश्री उर्मिला पाण्डे अपने साथी कलाकारों के साथ कजरी और झूला गायन की मनोहारी प्रस्तुति देकर समारोह का सांगीतिक समापन करेंगी।

हरियाली का संकल्प : एक पौधा, अनेक पीढ़ियों का जीवन परोपकारिणी महिला मंडल ने किया पौधरोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया प्रेरक संदेश



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: बढ़ते पर्यावरणीय संकट और घटते हरित क्षेत्र के बीच परोपकारिणी महिला मंडल ने समाज को प्रकृति संरक्षण का संदेश देते हुए पिंपलानी स्थित आनंदेश्वर महादेव मंदिर परिसर में पौधरोपण किया। मंडल की अध्यक्ष डॉ. साधना गंगराड़े के नेतृत्व में सदस्यों ने

बेल, शमी, आम, अमरूद और चीकू सहित विभिन्न फलदार एवं छायादार पौधे रोपे और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर डॉ. साधना गंगराड़े ने कहा कि ‘पौधरोपण तभी सार्थक है, जब पौधों का संरक्षण भी हमारी जीवनशैली का हिस्सा बने। एक पौधा केवल पेड़

नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वायु, जल और स्वस्थ पर्यावरण की अमूल्य धरोहर है। ‘ उन्होंने नागरिकों से अपील की कि प्रत्येक परिवार वर्ष में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसकी देखभाल का दायित्व भी निभाए। उन्होंने कहा कि यदि हर व्यक्ति प्रकृति के प्रति अपना

अयोध्या नगर व अवधपुरी स्थित वाईन शॉप संचालकों से वसूला जुर्माना

भोपाल। नगर निगम द्वारा गंदगी फैलाने व सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में निगम अमले ने गुरुवार को अयोध्या नगर स्थित अवधपुरी स्थित वाईन शॉप संचालकों द्वारा गंदगी फैलाने एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पर 08 हजार रुपये की राशि स्पॉट फ़ाईन के रूप में वसूली साथ ही अन्य क्षेत्रों में साफ-सफ़ाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने, प्रदूषण फैलाने तथा सम्पत्ति विरूपण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही में 59 प्रकरणों में 13 हजार 400 रुपये की राशि स्पॉट फ़ाईन/जुर्माने के रूप में वसूल की। निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन के निर्देश पर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर ढंग से साफ-सफ़ाई सुनिश्चित की जा रही है साथ ही स्वच्छता बनाए रखने हेतु निरीक्षण भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस की दी शुभकामनाएँ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस पर सभी श्रमिक भाई-बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि श्रम, कौशल और समर्पण से नए भारत के निर्माण में श्रमिकों की सहभागिता वंदनीय है। हर श्रमिक साथी के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

M.P. STATE ELECTRONICS DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED		
State IT Centre, 47-A, Arera Hills, Bhopal – 462011 (M.P.)		
www.mpsedc.m.p.gov.in, 0755-2518300, marketing@mpsedc.com		
NOTICE INVITING TENDER'S (NIT)		
MPSEDC invites online proposals for following bids on M.P. Tender :		
S.No.	Tender No.	NIT
1	MPSEDC/ COE/2026/703	Request for Proposal (RFP) Selection of Agency for Providing AI-Powered Voice Bot Implementation for CM Helpline 181 & MP eSEVA Portal, Madhya Pradesh
For detail scope of work, terms and conditions please refer to the respective bid document available on M.P. Tender Portal www.mptenders.gov.in . M.P. Madhyam/127137/2026 CHIEF GENERAL MANAGER		

बिजली कंपनी के एसीई की संपत्ति 17.12 करोड़ रुपए

आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त जांच तेज, 25 बैंक खाते फ्रीज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता शिवराम सेमिल के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जांच में अब तक सेमिल और उनके परिवार की चल एवं अचल संपत्तियों का मूल्य बढ़कर 17.12 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। लोकायुक्त यह पता लगाने में जुटी है कि 33 वर्ष की शासकीय सेवा के दौरान इतनी बड़ी संपत्ति किस प्रकार अर्जित की गई। मामले में उन्हें वर्तमान पद से हटाने के लिए ऊर्जा विभाग और विद्युत वितरण कंपनी को भी पत्र भेजा गया है। लोकायुक्त जांच के दौरान सेमिल और उनके परिवार से जुड़े 25 बैंक खातों की जानकारी सामने आई है। इनमें भारतीय स्टेट बैंक तथा भारतीय औद्योगिक



विकास बैंक के खाते शामिल हैं। ये खाते शिवराम सेमिल, उनकी पत्नी रामबेटी, पुत्र सौरभ, पुत्रवधू सुनीता तथा उनसे संबंधित फर्मों के नाम पर संचालित पाए गए हैं। जांच में शुभम इलेक्ट्रिकल तथा कॉनिश पावरजोन से संबंधित छह बैंक खातों की भी पता चला है। इन खातों में कुल 62.89 लाख रुपये जमा होने की जानकारी मिली है। इसके अतिरिक्त सौरभ सेमिल के नाम सावधि जमा की भी जानकारी सामने आई है। लोकायुक्त जांच में मुरैना स्थित संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। वहां

लगभग 50 लाख रुपये मूल्य का एक मकान मिला है। मकान में रखे घरेलू सामान का मूल्य लगभग 7.51 लाख रुपये आंका गया है। इसके अलावा मुरैना में 20 गुणा 40 फुट का एक भूखंड तथा लगभग सवा बीघा कृषि भूमि होने की जानकारी भी मिली है। इन संपत्तियों से संबंधित अभिलेख पंजीयन विभाग से प्राप्त किए जा रहे हैं। लोकायुक्त ने शिवराम सेमिल, उनके परिवार तथा संबंधित फर्मों के बैंक खाते फ्रीज करा दिए हैं। साथ ही आयकर विभाग से उनके तथा परिवार के सदस्यों की आयकर विवरणियों का विवरण मांगा गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रतिष्ठिति एवं विनियम बोर्ड को पत्र भेजकर अंश बाजार, पारस्परिक निधि तथा अन्य वित्तीय निवेशों से संबंधित जानकारी भी तलब की गई है।

हनुमान चालीसा पाठ से बच्चों में बढ़ेगी बुद्धिमत्ता: पटेरिया



नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: संत नगर स्थित नुककड़ वाली माता मंदिर में प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को रात्रि 8 बजे सकल समाज द्वारा ओम’ के उच्चारण और जय सियाराम के जयकारों के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ एवं आरती आयोजित की जाती है। मंदिर के पुजारी रवि पटेरिया ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों से रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, जिससे उनका बौद्धिक विकास हो सके। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि बच्चा पूरा पाठ न कर सके, तो केवल ‘गुरु गृह पठन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई’ या ‘बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार’ जैसी चौपाइयों का जाप भी करा सकते हैं। इससे बच्चों में एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ेगी। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सस्त्र्य विष्णु विश्वकर्मा, वीएचपी जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह गुर्जर, जीतू कटारिया, हीरो हिंदू, दयाराम मेहर सहित कई गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु उपस्थित रहे।

दुकानों के सामने खड़े ठेलों से व्यापारियों का कारोबार प्रभावित व्यापारियों के साथ सिंधी पंचायत ने सौंपा पुलिस को ज्ञापन

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: संतनगर के प्रमुख बाजारों में दुकानों के आगे अनधिकृत रूप से लगने वाले ठेलों को लेकर स्थानीय व्यापारियों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। करोड़ों रुपये का निवेश कर व्यापार कर रहे दुकानदारों का कहना है कि मुख्य मार्गों, पीएनबी बैंक रोड, आराम मशीन रोड, रेलवे स्टेशन रोड और निरंकारी मंडल रोड समेत कई अहम बाजारों में ठेलों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। इससे बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही पर सीधा असर पड़ रहा है और व्यापार मंदा होने के साथ-साथ आए दिन ठेला चालकों व दुकानदारों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

असामाजिक तत्वों का जमावड़े पर चिंता : व्यापारियों का गंभीर आरोप है कि कुछ ठेलों के आसपास नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है, जिससे वहां असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है। कई बार ठेला संचालकों द्वारा अभद्र व्यवहार और गुंडागर्दी की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, जिससे बाजारों में आने वाले



ग्राहकों और व्यापारियों के मन में असुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है। **आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी से गुस्सा :** पूंन्य सिंधी पंचायत ने पुलिस को दिए ज्ञापन में बताया कि लगभग एक सप्ताह पहले कपड़ा व्यवसायी नीरज जनयानी पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया था। इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन मुख्य हमलावर अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। **पुलिस को सौंपा ज्ञापन:** इस समस्या से निजात पाने के लिए

व्यापारियों ने पूंन्य सिंधी पंचायत से गुहार लगाई। इसके बाद पंचायत पदाधिकारियों ने बैरगाढ़ थाना प्रभारी अशोक गौतम को भी ज्ञापन सौंपकर बाजारों में कानून-व्यवस्था दुरुस्त करने, अवैध ठेलों पर नकेल कसने और आपराधिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कानूनी कदम उठाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में माधू चांदवानी, राजकुमार वाघवानी, सुरेश रौझवानी, राकेश शेवानी, भरत आसवानी और पुरुषोत्तम हरचंदानी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भरे चक्र आर्किया हौसिंग फ़िनांसीय लिमिटेड, भोपाल कारपोरेशन, एन.एच. रोड, गुरुजी रोड, श्रीमती दीपिका मर्यादा पत्नी श्री पुनम मर्यादा, 2, श्रीमती ज्योति बर्मा बर्मा रोड, पत्नी श्री गौरावत कौशल को संपत्ति 1. प्लॉट नं. 07, जिसका क्षेत्रफल 1138 वर्गफीट है, जो कि भूमि सारा नं. 184/1/2/2/1/1 (पुराना) खसरा नं. 184/1/2/2/1/1 का भाग है, 2. प्लॉट नं. 08, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 3. प्लॉट नं. 09, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 4. प्लॉट नं. 10, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 5. प्लॉट नं. 11, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 6. प्लॉट नं. 12, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 7. प्लॉट नं. 13, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 8. प्लॉट नं. 14, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 9. प्लॉट नं. 15, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 10. प्लॉट नं. 16, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 11. प्लॉट नं. 17, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 12. प्लॉट नं. 18, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 13. प्लॉट नं. 19, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 14. प्लॉट नं. 20, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 15. प्लॉट नं. 21, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 16. प्लॉट नं. 22, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 17. प्लॉट नं. 23, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 18. प्लॉट नं. 24, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 19. प्लॉट नं. 25, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 20. प्लॉट नं. 26, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 21. प्लॉट नं. 27, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 22. प्लॉट नं. 28, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 23. प्लॉट नं. 29, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 24. प्लॉट नं. 30, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 25. प्लॉट नं. 31, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 26. प्लॉट नं. 32, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 27. प्लॉट नं. 33, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 28. प्लॉट नं. 34, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 29. प्लॉट नं. 35, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 30. प्लॉट नं. 36, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 31. प्लॉट नं. 37, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 32. प्लॉट नं. 38, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 33. प्लॉट नं. 39, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 34. प्लॉट नं. 40, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 35. प्लॉट नं. 41, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 36. प्लॉट नं. 42, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 37. प्लॉट नं. 43, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 38. प्लॉट नं. 44, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 39. प्लॉट नं. 45, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 40. प्लॉट नं. 46, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 41. प्लॉट नं. 47, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 42. प्लॉट नं. 48, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 43. प्लॉट नं. 49, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 44. प्लॉट नं. 50, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 45. प्लॉट नं. 51, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 46. प्लॉट नं. 52, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 47. प्लॉट नं. 53, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 48. प्लॉट नं. 54, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 49. प्लॉट नं. 55, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 50. प्लॉट नं. 56, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 51. प्लॉट नं. 57, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 52. प्लॉट नं. 58, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 53. प्लॉट नं. 59, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 54. प्लॉट नं. 60, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 55. प्लॉट नं. 61, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 56. प्लॉट नं. 62, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 57. प्लॉट नं. 63, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 58. प्लॉट नं. 64, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 59. प्लॉट नं. 65, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 60. प्लॉट नं. 66, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 61. प्लॉट नं. 67, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 62. प्लॉट नं. 68, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 63. प्लॉट नं. 69, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 64. प्लॉट नं. 70, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 65. प्लॉट नं. 71, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 66. प्लॉट नं. 72, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 67. प्लॉट नं. 73, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 68. प्लॉट नं. 74, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 69. प्लॉट नं. 75, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 70. प्लॉट नं. 76, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भूमि खसरा नं. 184/1/2/2/1/1/1/1 का भाग है, 71. प्लॉट नं. 77, जिसका क्षेत्रफल 1119 वर्गफीट है तथा जो कि भ